पीठासीन अधिकारी :— हेमराज गुर्जर (आरएएस)

प्रकरण सख्या:—2/19 दायर दिनांक:— 03.01.2019

जीसीएमएस नं. 2019/00003

1. रघुवीर पुत्र श्री रामजीलाल जाति नाई निवासी ग्राम मैनापुरा तहसील भुसावर जिला भरतपुर

—–वादी

बनाम

1. कजौडी पुत्र रतनलाल जाति नाई निवासी मैनापुरा तहसील भुसावर जिला भरतपुर
2. सूखा पुत्र रतनलाल जाति नाई निवासी मैनापुरा तहसील भुसावर जिला भरतपुर
3. यादराम पुत्र रामजीलाल जाति नाई निवासी मैनापुरा तहसील भुसावर जिला भरतपुर
4. बबली पुत्र ओमी जाति नाई निवासी मैनापुरा तहसील भुसावर जिला भरतपुर
5. सतीश पुत्र ओमी जाति नाई निवासी मैनापुरा तहसील भुसावर जिला भरतपुर
6. मिथलेश पुत्री ओमी पत्नी भगवानसहाय जाति नाई निवासी मैनापुरा हाल निवासी बुगडायर तहसील सपोटरा जिला करौली
7. माया पुत्री ओमी पत्नी नन्दकिशोर जाति नाई निवासी मैनापुरा हाल निवासी बुगडायर तहसील सपोटरा जिला करौली
8. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार भुसावर जिला भरतपुर

—–प्रतिवादीगण

दावा विभाजन व हुक्म इम्तनाई दवामी अन्तर्गत धारा 53, व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित —1.श्री सुरेन्द्र चौधरी वादी अधिवक्ता
2.श्री चन्द्रशेखर तिवाडी य प्रति.सं.1,2 अधिवक्ता
3.श्री मनोज कुमार मीणा प्रति सं. 6,7

निर्णय दिनांक 06.10.2023

वादी द्वारा प्रस्तुत दावा अन्तर्गत धारा 53 व 188 आरटीए के तहत पेश किया गया इसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि ख.न. 65 रकबा 0.3200, ख.न. 66 रकबा 0.1600, ख.न. 67 रकबा 0.1200, ख.न. 68 रकबा 0.2400 किता 4 कुल रकबा 0.8400 हैक्टर वाके ग्राम गढी ब्राहम्ण तहसील भुसावर जिला भरतपुर में स्थित है। जिसमें वादी व प्रतिवादी संख्या 3 वाहिस्सा बराबर 1/3 हिस्सा के व प्रतिवादी संख्या 4 लगायत 7 वाहिस्सा बराबर 1/6 हिस्सा के एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 वाहिस्सा बराबर 1/2 हिस्से के खातेदार काश्तकार एवं काबिज आराजी है। तथा इसी प्रकार राज्य सरकार को राज लगान अदा करते चले आ रहे हैं। उपरोक्त वर्णित आराजीयात वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 7 की अविभाजित आराजी है जो वादी व प्रतिवादीगण को अपने पूर्वजों से विरासत मे प्राप्त हुई है। जिसका विभाजन अभी तक बाई मीटस एण्ड बाउण्ड वादी व प्रतिवादीगण के मध्य नहीं हुआ है। लेकिन प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 बहुत ही चतुर एवं चालाक किस्म के व्यक्ति है जो वादग्रस्त आराजी में से आ0ख0न0 67, 68 जो कि गैर मुमकिन रास्ता

उपखण्ड अधिकारी
भुसावर (भरतपुर)

ख0न0 24 से लगे हुए हैं जिन पर अपने लट्ठ व ताकत के बल पर जबरन कब्जा करते हुए अपनी मकानियत का निर्माण कर घेर बंदी करते हुए व तारबंदी करते हुए अन्य सयुंक्त खसरा नम्बरान को आने जाने वाले रास्ता को बंद करना चाहते है। तथा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने गैर मुमकिन रास्ता ख0न0 24 की भूमि पर भी अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। तथा रास्ते के सहारे की भूमि से वादी व प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 7 को महरूम करना चाहते हैं। जबकि प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 को रास्ता के सहारे की भूमि पर न्यारानूर कोई भी अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। दिनांक 26.12.2018 को वादी ने प्रतिवादीगण से वादग्रस्त आराजी का कानूनी विभाजन कराने के लिए कहा तो प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 ने खुले आम धमकी दी कि हम किसी प्रकार का विभाजन नहीं करायेगे, और हम तो ख0न0 67 व 68 पर लट्ठ व ताकत के बल पर जबरन कब्जा कर अपनी मकानियत का निर्माण करायेगे और घेरबंदी कर तथा तारबंदी करते हुए तुम्हारे अन्य खसरा नम्बरान को नहीं जाने देंगे और तुम्हें रास्ते के सहारे की जमीन से भी बेदखल करते हुए महरूम कर देगें और तुम्हें रास्ते के सहारे की जमीन का भी शांतिपूर्वक उपयोग व उपभोग नहीं करने देंगें। अतः वादी प्रतिवादीगण के मध्य आराजी का विभाजन बाई मीटस एण्ड बाउण्ड करा पाने के अधिकारी हैं। प्रतिवादीगण अपनी उपरोक्त धमकी की मंशा में सफल हो गए, तो वादी अपनी खातेदारी की मौके की आराजी से बेदखल होकर महरूम रह जावेगा, जिससे वादी को अपरमित क्षति होगी, जिसकी पूर्ति किसी भी प्रकार से रूपयों पैसों से सम्भव नहीं हो सकेगी। अतः वादी, प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा द्वारा पाबंद करा पाने का अधिकारी है।

हमने दावा वादी इर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण की तल्बी जरिए रजिस्टर्ड डाक द्वारा की गई नोटिस की ताईद में प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 की ओर से वकालतनामा व जबाव दावा चन्द्रशेखर तिवारी एवं श्री मनोज मीना एडवोकेट द्वारा प्रतिवादीगण संख्या 6 व 7 वकालतनामा व जवाब दावा पेश किया गया तथा प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 5 की डाक एडी प्राप्त होने के बावजूद भी उपस्थित नहीं होने पर उनके विरूद्ध कार्यवाही एक पक्षीय अमल में लाई गई। प्रार्थना पत्र आदेश 6 नियम 17 पेश होने पर वाद सुनवाई स्वीकार किया गया तथा दिनांक 21.06.19 को संशोधित वाद पत्र पेश किया गया। उभयपक्ष अधिवक्तागण की वाद सुनवाई उनकी सहमति के आधार पर तहसीलदार भुसावर को विभाजन प्रस्ताव हेतु लिखा गया उसकी पालना में तहसीलदार द्वारा उनके पत्रांक/एलआर/19/2541 दिनांक 22.08.19 से भिजवाई गई जिस पर प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 की ओर से आपत्ति जाहिर की गई। तथा दिनांक 28.11.19 को प्रा0पत्र आदेश 7नियम 11 जा.दी. पेश किया जो दिनांक 26.12.19 को अस्वीकार किया गया इसी दौरान दिनांक 04.02.20 को प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा प्रा0 पत्र मुन्तकिल की श्रीमान जिला कलक्टर महोदय भरतपुर की प्रति पेश की गई इस बावत् वादी अधिवक्ता द्वारा श्रीमान जिला कलक्टर महोदय न्यायालय के मुन्तकिली प्रा0पत्र खारिज होने बावत् आदेश पेश किया गया।

पूर्वआदेशानुसार कुरेजात आपत्ति पर सुना गया पुनः विभाजन प्रस्ताव मंगवाए जाने बावत् उभयपक्ष के सहमत होने पर लिखा गया जिसकी पालना में विभाजन प्रस्ताव पुनः प्राप्त होने पर पुनः आपत्ति लगाई गई प्रा0पत्र आपत्ति स्वीकार कर दिनांक 13.01.2023 को पुनः विभाजन प्रस्ताव बावत् लिखा गया। जिसकी पालना में पुनः विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार भुसावर के पत्रांक/एलआर/3569 दिनांक 27.07.23 से भिजवाया गया।

हमने बहस उभयपक्ष की सुनी गई पत्रावली एवं इसमें प्रस्तुत दस्तावेजी रिकार्ड एवं विभाजन प्रस्ताव क्रमांक/एलआर/3569 दिनांक 27.07.23 का अवलोकन किया गया इसके आधार पर हम दावा वादी स्वीकार किया जाना उचित समझते हैं।

उपखण्ड अधिकारी
भुसावर (भरतपुर)

अतः दावा वादी स्वीकार किया जाकर तहसीलदार भुसावर को आदेशित किया जाता है कि विभाजन प्रस्ताव क्रमांक/एलआर/3569 दिनांक 27.07.23 अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 7 को खातेदार दर्ज राजस्व रिकार्ड किया जावे । विभाजन प्रस्ताव दिनांक 27.07.23 निर्णय का भाग रहेगा तदनुसार डिक्री पर्चा जारी होवे।

निर्णय आज दिनांक 06.10.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हेमराज गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
भुसावर (भरतपुर)